नगर पालिका परिषद, अतरौली (अलीगढ़)

सूचना अधिकार अधिनियम - 2005

धारा 4 (1) (बी) के अनुसरण में अभिलेख

(1) **संरचना, कृत्य और कर्तव्य :-**

नगर पालिका परिषद, अतरौली जिला अलीगढ़ का गठन सन् 1865 में हुआ, सन् 1987 से द्वितीय श्रेणी में उच्चीकृत है । सीमावृद्धि सन् 1998 में हुई, क्षेत्रफल 16.725वर्ग कि.मी. एवं जनसंख्या जनगणना 1951 में 13,926, 1961 में 18,471, 1971 में 21,092,1981 में 27,325, 1991 में 35,133 एवं 2001 में 43,744 है । नगर अतरौली,आगरा-मुरादाबाद नेशनल हाइवे पर अलीगढ़ से 26 कि.मी. पर एवं नरौरा एटौमिक पावर स्टेशन से 25 कि.मी. पर स्थित है ।

नगर पालिका परिषद, स्वायत्तशासी संस्था है । एक अध्यक्ष और निर्वाचित सदस्य 25, पदेन सदस्य लोकसभा एवं राज्य विधान सभा सदस्य, नाम निर्दिष्ट सदस्य न्यूनतम तीन अधिकतम पांच, सम्प्रति निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल समाप्ति कारण से नगर पालिका परिषद के समस्त कृत्य - कर्तव्य जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित प्रशासक में निहित हैं ।

नगर पालिका परिषद के कर्तव्य :-

उ.प्र.न.पा.प. अधिनियम 1916 की धारा 7 में वर्णित कर्तव्य :-

- सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर रोशनी ;
- सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर पानी का छिड़काव ;
- नगर पालिका सीमा का सर्वेक्षण करना और सीमा चिन्ह लगाना ;
- सार्वजनिक सड़कों , स्थानों और नालियों की सफाई करना, हानिकर वनस्पति को हटाना और समस्त लोक उत्पात का उपशमन करना ;
- संतापकारी, खतरनाक या आपत्तिजनक व्यापार, आजीविका या प्रथा का विनियमन करना ;
- आवारा कुत्तों तथा खतरनाक पशुओं को परिरुद्ध करना, हटाना या नष्ट करना ;
- लोक सुरक्षा , स्वास्थ्य या सुविधा के आधार पर सड़कों या सार्वजनिक स्थानों से अवांछनीय अवरोध और प्रक्षेप हटाना ;
- खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित बनाना या हटाना ;
- मृतकों के निस्तारण के लिये स्थान अर्जित,अनुरक्षित, परिवर्तित और विनियमित करना और अदावाकृत शवों के पुलिस से लिखित रुप में यह अभिनिश्चित करने के पश्चात् कि ऐसा करने मे कोई आपत्ति नहीं है , निस्तारण का प्रबन्ध करना ;
- सार्वजनिक सड़कों, पुलियों, बाजारों, वध शालाओं, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों, नालियों, जलोत्सारण निर्माण कार्यों का निर्माण, परिवर्तन और अनुरक्षण करना ;
- घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यक प्रयोजनों के लिये जलापूर्ति उपलब्ध कराना ;

.... 2 ... पर

- सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर रोशनी ;
- सड़क के किनारे तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में वृक्ष लगाना और उनका अनुरक्षण करना ;
- ऐसे स्थानों में जहाँ वर्तमान जल संभरण के अपर्याप्त या अस्वास्थ्यप्रद होने से वहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य को संकट हो, शुद्ध और स्वास्थ्यप्रद जल के पर्याप्त संभरण की व्यवस्था करना, मनुष्यों के उपभोग के लिये प्रयुक्त होने वाले जल को प्रदूषित होने से बचाना और प्रदूषित जल के ऐसे उपयोग को रोकना ;
- जल-संभरण के अन्य किसी स्त्रोत के अतिरिक्त, सार्वजनिक कुओं को यदि कोई हो, ठीक हालत में रखना, उनके जल को प्रदूषित होने से बचाना और उसे मनुष्यों के उपभोग के योग्य बनाये रखना ;
- जन्म और मरण का रजिस्ट्रीकरण ;
- सार्वजनिक टीका लगाने की प्रणाली की स्थापना तथा उसका अनुरक्षण ;
- सार्वजनिक चिकित्सालयों और औषधालयों की स्थापना उनका अनुरक्षण या उनकी सहायता करना और सार्वजनिक चिकित्सा सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था करना ;
- प्रसूति केन्द्रों, शिशु कल्याण और जन्म नियंत्रण क्लीनिकों की स्थापना, अनुरक्षण और सहायता करना और जनसंख्या नियन्त्रण, परिवार कल्याण और छोटे परिवार मानक का संवर्द्धन करना ;
- पशु-चिकित्सालयों का अनुरक्षण या उनके अनुरक्षण के लिये अनुदान देना ;
- शाारीरिक संवर्धन की संस्थाओं की स्थापना और उसका अनुरक्षण या उन्हें सहायता प्रदान करना ;
- प्राथमिक स्कूलों की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना ;
- आग बुझाने में सहायता देना और आग लगने पर जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करना ;
- नगर पलिका में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी सम्पत्ति की सुरक्षा करना, उसका अनुरक्षण तथा विकास करना ;
- वित्त-व्यवस्था का संतोषप्रद स्थिति में बनाये रखना और उसके दायित्वों को पूरा करना ;
- शासकीय पत्रों पर तत्काल ध्यान देना और ऐसी विवरणियां,विवरण और रिर्पोट तैयार करना,जिन्हें राज्य सरकार से प्रस्तुत करने की अपेक्षा करे ;
- विधि द्वारा उस पर अधिरोपित किसी बाध्यता की पूर्ति करना ;
- चर्मशोधन शालाओं को विनियमित करना ;
- पार्किंग स्थल, बस स्टाप और जन सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण करना ;
- नगरीय वानिकी और पारस्थितकी पहलुओं की अभिवृद्धि और पर्यावरण का संरक्षण करना ;
- समाज के दुर्बल वर्गों के,जिनके अन्तर्गत विकलांग और मानसिक रुप से मन्द व्यक्ति हैं, हितों का संरक्षण करना ;
- सांस्कृतिक,शैक्षणिक और सौंदर्य परख पहलुओं की अभिवृद्धि करना ;
- कांजी हाउस, का निर्माण और अनुरक्षण करना और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करना;
- गन्दी-बस्ती सुधार और उन्नयन ;
- नगरीय निर्धनता कम करना ;
- नगरीय सुख सुविधाओं और सुविधाओं,जैसे कि पार्क, उद्यान और खेल के मैदानों की व्यवस्था करना ;

नगर पालिका परिषद के वैवेकिक कृत्य :-

- मास्टर प्लान तैयार करना और उसे निष्पादित करना ;

- पुस्ताकालय, सग्रंहालय, वाचनालय, रेडियो संग्राही केन्द्र, कुष्ठाश्रम, अनाथालय, शिशु-सदन और महिला उद्धार-ग्रह , कार्यालय, धर्मशाला, विश्राम-ग्रह, शिविर-स्थल, अर्किचन-ग्रह, दुग्धशाला, स्नानागार, स्नान-घाट, धोबियों के धुलाई-स्थल , पीने के पानी का स्त्रोत (ड्रिंकिंग फाउन्टेन), तालाब, कुँआ, बाँध तथा अन्य लोकोपयोगी निर्माण कार्यों का निर्माण, उनकी स्थापना तथा उनका अनुरक्षण या उनके अनुरक्षण में अशंदान देना ;

- जन-गणना करना और ऐसी सूचना के लिये इनाम देना, जिससे जन्म मरण के आंकड़ो का सही रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित हो सके ।

- ऐसी सूचना के लिये इनाम देना, जिससे जन्म - मरण के आकंड़ो का सही रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित हो सके ;

- स्थानीय विपत्ति पड़ने पर, सहायता कार्यों की स्थापना और उनका अनुरक्षण करके या अन्य प्रकार से सहायता करना;

- धारा 298 के शीर्षक 'छ' के उपशीर्षक (क) के अधीन उल्लिखित किसी व्यापार या निर्माण के कार्यान्वयन के लिये उपयुक्त स्थान प्राप्त करना या प्राप्त करने में सहायता देना ।

- सीवेज के निस्तारण के लिये फार्म या कारखाना स्थापित करना और उसका अनुरक्षण करना ;

- विष्ठा और कूड़ा-करकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करने के लिये प्रबन्ध करना ;

- पर्यटक यातायात की अभिवृद्धि करना ;

- मेले और प्रदर्शनियाँ लगाना ;

- ग्रह और नगर नियोजन योजनायें तैयार करना और उनका निष्पादन;

- व्यापार और उद्योग की अभिवृद्धि के लिये उपाय करना;

- अपने कर्मचारियों के लिये श्रम कल्याण केन्द्र स्थापित करना और ऐसे कर्मचारियों व किसी एसोसियेशन संघ या क्लब की सामान्य उन्नति के लिये अनुदान अथवा ऋण देकर, उसके कार्यकलापों में सहायता देना ;

- भिक्षा-वृत्ति पर नियन्त्रण के लिये उपाय करना ;

- कोई ऐसा कार्य करना, जिसके सम्बन्ध में व्यय राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका द्वारा, नगरो की दशा में राज्य सरकार की और अन्य नगर पालिकाओं की दशा में विहित प्राधिकारी की स्वीकृति स, नगर पालिका निधि पर समुचित प्रभार घोषित किया जाय;

नगर पालिका परिषद की शक्तियां और कृत्य

अनुसूची - एक

धारा	शक्ति या कर्तव्य	अभ्युक्तियां
1	2	3
52	अध्यक्ष से रिर्पोट आदि को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ।	
54	उपाध्यक्ष निर्वाचित करना, या उसका त्याग-पत्र स्वीकार करना ।	
59	ऐसे मामले में जिसमें रिक्ति दो मास से अधिक हो, किसी व्यक्ति को स्थानापन्न कार्यपालक अधिकारी के रुप में कार्य करने के लिये नियुक्त करना ।	
63	कार्यपालक अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी से विवरणी आदि को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ।	
71	नगर पालिका के स्थाई कर्मचारी की संख्या और वेतन अवधारित करना ।	
72	किसी एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक अधिकारियों के कर्तव्यों के निर्वहन के लिये नियुक्त करना ।	
79(2)	भविष्य निधि स्थापित करना ।	
79(3)(4) और (5)	उपदान या अनुकम्पा भत्ता स्वीकृत करना या वार्षिकी स्वीकृत करना या क्रय करना ।	
81	किसी सदस्य के विरुद्ध वाद संस्थित करना ।	
82(2) (च)	ऐसी धनराशि निश्चित करना जिस धनराशि तक कोई सदस्य नगर पालिका परिषद को यदा-कदा होने वाली बिक्री मे हित रखता हो ।	
94(6)	किसी संकल्प को उपान्तरित या रद्द करना ।	
96(1)	ऐसी संविदा स्वीकृत करना जिसके लिये बजट में कोई व्यवस्था न हो या जिसमें ऐसा मूल्य या धनराशि अन्तर्ग्रस्त हो जो किसी नगर पालिका परिषद द्वारा किये गये संविदा की दशा में दस हजार रुपये और नगर पंचायत द्वारा किये गये संविदा की दशा में तीन हजार रुपये से अधिक न हो ।	
96(2)	नगर पलिका की किसी समिति या अधिकारी या सेवक को अन्य संविदा स्वीकृत करने के लिये सशक्त करना ।	
96(3)	अभियन्ता को संविदा स्वीकृत करने के लिये सशक्त करना ।	
99	बजट स्वीकृत करना या बजट में फेरफार या परिवर्तन करना ।	

.... 2 पर

104(1)	समितियों के सदस्यों को नियुक्त करना और हटाना ।	
104(2)	सलाहकार समितियां स्थापित करना और उनके सदस्यों की नियुक्ति करना।	
105	नगर पालिका के सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों को समितियों में नियुक्त करना।	
106	समितियों में रिक्तियों की पूर्ति करना ।	
107(1)	किसी समिति का सभापति नियुक्त करना ।	
109	समिति से विवरणी मांगना ।	
110	संयुक्त समितियां नियुक्त करना और किसी ऐसे लिखत में फेरफार करना या उसको विखण्डित करना जिसके आधार पर कोई संयुक्त समिति नियुक्त की गई है ।	
112	नगर पालिका को प्रदत्त या अधिरोपित शक्तियों और कतव्यों को प्रत्यायोजित करना ।	
115	नगर पालिका-निधि के किसी भाग का विनिधान करना या उसे निक्षेप में रखना ।	
118	नगर पालिका को सौंपी गई सम्पत्ति का प्रबन्ध या नियन्त्रण करना ।	
119	सार्वजनिक संस्थाओं की निधि का प्रबन्ध,नियन्त्रण और प्रशासन करना और उसे न्यासतः धारित करना ।	
124	नगर पालिका में निहित किसी सम्पत्ति का अन्तरण करना ।	यदि अन्तरण जंगम संपत्ति से सम्बन्धित है,तो इस प्रत्यायोजित कियाजा सकता है
125	नगर पालिका-निधि से प्रतिकर देना ।	
128-137	कर के संम्बन्ध में कोई कार्यवाही करना ।	
141	कर निर्धारण सूची को तैयार कराना और कर-निर्धारण सूची बनाने के लिये किसी व्यक्ति को नियुक्त करना ।	प्रत्यायोजित की जा सकती है ।
143(3)	आपत्तियां सुनना और उनको विनिश्चत करना या आपत्तियों को सुनने और उनको विनिश्चत करने के लिये शक्ति का प्रत्यायोजन करना ।	तदैव
147(1)	कर निर्धारण सूची का संशोधन करना ।	तदैव
156	कर का प्रशाासन करने के लिये अनुज्ञा देना ।	
157(1)(2)	कराधान से छूट देना ।	
187	अग्निशमक दल की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना ।	
196(क)(ख)	सार्वजनिक नोटिस द्वारा ग्रह-सम्मार्जन या शौचालयों या संडासों की सफाई का जिम्मा लेना और इस जिम्मेदारी का त्याग करना ।	
197(2)	किसी मकान को धारा 196(क) के अधीन नोटिस से अपवर्तित करने के लिये आवेदन-पत्र पर आदेश देना ।	तदैव
212-क	नगर पालिका क्षेत्र के बाहर दो मील की दूरी तक किसी भवन या मार्ग और नाली के निर्माण को नियन्त्रित और विनियमित करना ।	
217(1)(क)	किसी मार्ग का नाम रखना ।	
219	किसी सार्वजनिक मार्ग का निर्माण करना,उसे परिवर्तित करना,तोड़ना या बन्द करना,एस पर भवन स्थलों की व्यवस्था करना करना,ऐसे प्रयोजनों के लिये भूमि अर्जन करने की कार्यवाही करना और इस प्रकार अर्जित भूमि को बेचना या उसका निस्तारण करना ।	
221	किसी मार्ग को सार्वजनिक मार्ग घोषित करना ।	
222(1)(3)	" मार्ग को नियमित पंक्ति" परिभाषित करना ।	
224	जल-कल का निर्माण करना और उसमें परिवर्तन करना ।	
237(1)	बिक्री के लिये पशुओं के वध के लिये परिसर निश्चित करना ।	

..... 3 पर

238	ऐसे पशुओं के लिये वध स्थान निश्चित करना जो बिक्री के लिये आशयित न हों या जिनका धार्मिक प्रयोजन के लिये वध किया जाय और अन्य स्थान पर ऐसे वध का प्रतिषेध करना ।
250 (1)	कुत्तों के मुख पट्टे बाँधने की अपेक्षा करना ।
253 प्रतिबन्धा-त्मक खण्ड	निर्देश देना कि यह धारा उन गाड़ियों पर लागू न होगी जो पैदल चलने की की गति से अधिक न चलायी जा रही हो ।
257(1)	निर्देश देना के नगर पालिका की सहमति के बिना छतें और बाहरी दीवालें ज्वलनशील सामग्री से नहीं बनायीं जायेंगीं ।
259	ज्वलनशील सामग्री आदि का ढेर लगाने या जमा करने का प्रतिषेध करना ।
269	तालाब और ऐसे ही अन्य स्थानों से अपदूषण को हटाने की अपेक्षा करना जब ऐसा करने में नगर पालिका द्वारा भूमि का अर्जन करना या उसकी व्यवस्था करना अन्तर्विष्ट हो ।
273(1) (ख) और ग	संतापकारी प्रदार्थ और कूड़ा करकट के निस्तारण के लिये स्थान नियत करना और उसे हटाने के लिये समय,रीति और शर्तों के सम्बन्ध में निर्देश जारी करना ।
275 (3)	पशुओं के शव के निस्तारण के लिये फीस विहित करना ।
282	स्वास्थ्य के लिये हानिकर खेती, खाद का उपयोग या सिंचाई का प्रतिषेध करना ।
285	कब्रिस्तान और श्मशान भूमि की व्यवस्था करना या उन्हें बन्द करना या उन्हें बनाये जाने की अनुमति देना,सार्वजनिक नोटिस से निजी कब्रगाहों को अपवादित करना और किसी गैर मान्यताप्राप्त कब्रिस्तान या श्मशान भूमि का उपयोग करने की अनुमति देना ।
286	स्नान और धुलाई करने के स्थान को पृथक करना, ऐसे स्थानों के प्रयोग के लिये शर्तें विहित करना और अन्य स्थानों पर स्नान और धुलाई करने का प्रतिषेध करना ।
290(2)	नगर पालिका-निधि से जल-कल या धारा 192,267 और 268 के अधीन किसी कार्य के निष्पादन की स्वीकृति देना ।
290(3)	किसी जल-कल या जल निस्तारण से अनुलग्न साधित्र में नगर पालिका के हित को किसी भवन या भूमि के स्वामी को अन्तरित करना ।
297	विनियम बनाना ।
298	उपविधियाँ बनाना ।
299	यह निर्देश देना कि उपविधियों का भंग किया जाना जुर्माने से दण्डनीय होगा ।
सामान्य	कोई शक्ति,कर्तव्य या कृत्य जिसके बारे में नियम द्वारा यह अपेक्षित हो कि उसका प्रयोग, पालन या निर्वहन स्वंय नगर पालिका द्वारा संकल्प के द्वारा किया जायेगा ।

अधिशासी अधिकारी की अनुसूचित शक्तियां
अनुसूची - दो

धारा	शक्ति या कर्तव्य	अभ्युक्तियां
1	2	3
75	स्थायी अवर कर्मचारी वर्ग को नियुक्त करना ।	
76	स्थाई अवर कर्मचारी को पदच्युत करना,हटाना या अन्यथा दण्ड देना ।	
79(1)	अधिकारी या सेवक को छुट्टी भत्ता देना ।	
142	उस स्थान की सार्वजनिक नोटिस देना, जहाँ कर निर्धारण सूची का निरीक्षण किया जा सकेगा ।	
143(1)	मूल्यांकन और कर-निर्धारण पर विचार करने के लिये निश्चित समय की सार्वजनिक नोटिस देना और सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी को नोटिस देना ।	
143(2)	मूल्यांकन और कर-निर्धारण के सम्बन्ध में आपत्तियां प्राप्त करना ।	
147(2)	कर-निर्धारण सूची के प्रस्तावित परिवर्तन में हितबद्ध व्यक्तियों को उस दिनांक की,जिस दिनांक को परिवर्तन किया जायेगा,नोटिस देना ।	
148(1)	किसी भवन के नव-निर्माण,पुननिर्माण या विस्तार की नोटिस प्राप्त करना ।	
150(2)	पट्टाकर्ता से कर उदग्रहण करने के विकल्प का प्रयोग करना ।	
151(1) और (2)	ऐसे किसी भवन,वासग्रह या भूमि को, जो खाली हो और जिससे किराया न मिलता हो,कर से छूट देना या उसे वापस करना ।	
152(1)	किसी भवन या भूमि के पुनः अध्यासन की नोटिस प्राप्त करना ।	
158	ऐसी सूचना माँगना,जिसका प्रभाव कराधान के दायित्व पर पड़ता हो ।	
166	करों और अन्य देयों के बिल प्रस्तुत करना ।	
168	माँग की नोटिस तामील करना ।	
169	करस्थम वान्ट जारी करना ।	
172(1) और (2)	करस्थम माल बेचना ।	
172(3)	वापसी के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त करना और उसे वापस करना ।	
173	वारन्ट जारी करने के लिये मजिस्ट्रेट को आवेदन पत्र देना ।	
176	माँग के लिये वाद लाना ।	
178(1)	भवन इत्यादि का निर्माण,पुननिर्माण करने या उसमें तात्विक परिवर्तन करने के आशय की नोटिस प्राप्त करना ।	
179(1)	यह अवधारित करना कि ऐसी नोटिस केसम्बन्ध में सूचना समाधानप्रद है ।	
179(2)	रेखांक विनिर्देश, और बग्रतर सूचना माँगना ।	
186	नोटिस द्वारा यह निर्देश देना कि किसी भवन,इत्यादि का निर्माण,पुर्ननिर्माण या परिवर्तन रोक दिया जाय या किसी भवन इत्यादि में परिवर्तन किया जाय या उसे गिरा दिया जाय ।	**अपीलीय**
189	नालियों का निर्माण करना ।	
190	नगर पालिका की नालियों में परिवर्तन करना और उन्हें बन्द करना ।	
191(1)	निजी नालियों को नगर पालिका की नालियों से जोड़ने की अनुज्ञा देना और उसके लिये शर्तें विहित करना ।	
191(2)	किसी उपविधि का या अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन करके या बिना अनुज्ञा प्राप्त किये बनायी गई नाली को बन्द करने आदि की अपेक्षा करना ।	
192(1)	सार्वजनिक नाली के साथ जल-निस्तारण का संयोजन करना ।	**अपीलीय**
193	नालियों का निर्माण करने के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त करना,आपत्तिया माँगना,उन पर आदेश देना और निर्माण की लागत और प्रतिकर वसूल करना ।	**उपधारा (3) के अधीनअभिलिखित आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है ।**

194	नाली को मोड़ने के लिये अनुज्ञा देना और इस प्रकार नाली मोड़ने के लिये शर्तें विहित करना ।	
196(ग) और (घ)	अध्यासी की सहमति से ग्रह-संमार्जन करने या विष्टा या अन्य दुर्गन्धयुक्त प्रदार्थ या कूड़ा-करकट हटाने का जिम्मा लेना और इस जिम्मेदारी का त्याग करना ।	
201(1)	रुढ़िगत सफाईकारों द्वारा उपेक्षा किये जाने पर मजिस्ट्रेट से शिकायत करना ।	
202(1)	किसी कृषक द्वारा ग्रह संमार्जन की उचित व्यवस्था न किये जाने पर मजिस्ट्रेट से शिकायत करना ।	
204	मार्ग का विन्यास करने और बनाने की अनुज्ञा के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त करना ।	
209	प्रक्षेप के लिये अनुज्ञा देना ।	**अनुज्ञा देने से इन्कार करने के विरुद्ध अपील की जा सकती है ।**
211	प्रक्षेप को हटाने या उसे परिवर्तित करने के लिये नोटिस जारी करना ।	
213	भवन आदि के निर्माण और मरम्मत के लिये अनुज्ञा देना और सूचना पट्ट आदि के सम्बन्ध में आदेश जारी करना ।	
214	झाड़ियों और पेडों को काटने और छाँटने की अपेक्षा करना ।	
215	गिरे हुये मकान इत्यादि के कारण हुई बाधा को हटाना और उसे हटाने में होने वले व्यय को वसूल करना या उसे हटाये जाने की अपेक्षा करने के लिये नोटिस जारी करना ।	
216	बरसाती पानी के लिये नालों और नलों की व्यवस्था करने की अपेक्षा करना ।	
217(1),(ख) और (ग)	किसी मार्ग का नाम रखना या भवन पर संख्या डलवाना या स्वामी या अध्यासी से संख्या पट्टिका लगाने की अपेक्षा करना और ऐसे नामों और संख्याओं में परिवर्तन कराने या करने की अपेक्षा करना ।	
218	भवनों पर बत्तियों,टेलीग्राफ और टेलीफोन के तारों,इत्यादि के लिये खम्भे और ब्रेक्रेट लगवाना ।	
220	किसी सार्वजनिक मार्ग या स्थान का उपयोग या अध्यासन करने के लिये अनुज्ञा देना ।	
223	सार्वजनिक मार्गों इत्यादि की मरम्मत के समय बाड़ा लगाने और रोशनी की व्यवस्था करना ।	
225(1)	निजी कुओं आदि की सफाई किये जाने की अपेक्षा करना ।	
225(2)	किसी व्यक्ति से निजी कुएँ इत्यादि का प्रयोग न करने या उसे बन्द कर देने या बाड़ा लगा देने की अपेक्षा करना ।	**अपीलीय**
227	जल-सम्भरण के किसी स्त्रोत के निकट नालियों,शौचालयों इत्यादि को हटाने या बन्द कराने की अपेक्षा करना ।	**अपीलीय**
229	करार द्वारा जल-सम्भरण करना ।	
230	जल-सम्भरण के लिये प्रभार लेना ।	
236	नालियों इत्यादि के ऊपर अनाधिकृत भवनों को हटाना या उसके सम्बन्ध में अन्य प्रकार की कार्यवाही करना या ऐसे भवन इत्यादि को हटाने का नोटिस जारी करना ।	**अपीलीय**
240	किसी उपविधि का उल्लघंन करके नगर पालिका की सीमा के भीतर लाये गये गोश्त का अभिग्रहण करने के लिये किसी अधिकारी को प्राधिकार देना और ऐसे गोश्त के निस्तारण के लिये आदेश जारी करना ।	
244(1)	बिक्री के लिये प्रदर्शित ऐसी वस्तुओं को जो मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त प्रतीत हों और ऐसी ओषधियों को,जिनमें मिलावट होने की या जिनके निष्प्रभावी हो जाने की शंका हो,अधिग्रहीत करना और ऐसी औषधियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुंत करना ।	
245(1)	आपत्तिजनक व्यापार के सम्बन्ध में नोटिस जारी करना ।	**अपीलीय**
249	ऐंसे कुत्तों को जिनके जलान्तक (रेबीज) रोग आदि से पीड़ित होने का सन्देह हो नष्ट या परिरुद्ध करने के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करना ।	
250(2)	बिना मुख-पट्ट बँधे हुये कुत्तों को नष्ट या परिरुद्ध करने के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करना ।	

..... 3 पर

256	किसी सार्वजनिक भूमि को पशुओं या गाड़ियों के पड़ाब के लिये उपयोग में लाने की अनुज्ञा देना ।	
257(2)	किसी छत और दीवाल को, यदि वे ज्वलनशील हों, हटाने की की अपेक्षा करना ।	**अपीलीय**
258	ज्वलनशील सामग्री की तलाशी लेना और अनुज्ञात मात्रा से अधिक किसी मात्रा में रखी गई सामग्री अभिग्रहीत करना ।	
260	संकटपूर्ण खदान कार्य के सम्बन्ध में नोटिस जारी करना और आसन्न खतरे के निवारणार्थ विज्ञापन पट (होर्डिंग) या बाड़ा लगाना ।	
261	खंडंजा आदि को हटाने की अनुज्ञा देना और इस प्रकार हटाये जाने आदि के कारण नगर पालिका द्वारा किये गये व्यय को वसूल करना ।	
263	नोटिस द्वारा ऐसे भवन इत्यादि को जो खतरनाक हालत में या खण्डहर के रुप में ,तोड़ देने या उसकी मरम्मत करा देने या कुयें,तालाब आदि को मरम्मत कराने और उनको घेरने की अपेक्षा करना और आसन्न संकट होने की स्थिति में तुरन्त कायवाही करना ।	**किसी तालाब की मरम्मत करवाने या उसे घेरने के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है ।**
264	अनध्यासित भवन या भूमि को,जिससे लोक अपदूषण होता हो,सुरक्षित करने या घेर देने की अपेक्षा करना ।	**अपीलीय**
265	किसी सड़क पर अस्थायी बाधा पहुँचाने की लिखित अनुज्ञा देना और किसी सड़क से कोई बाधा हटाना और हटाये जाने का व्यय वसूल करना ।	
266	खुले स्थानों से मिट्टी इत्यादि हटाने के लिये अनुज्ञा देना ।	
267	असार्वजनिक नालियों,नलकूपों,कूड़ेदानों,शौचालयों इत्यादि की व्यवस्था करने,उनमें परिवर्तन करने,हटाने,बन्द करने,सफाई करने और दिखाई न देने की अपेक्षा करना ।	**शौचालयों,मूत्रालय,नाबदान, नाली, नलकूप,कूड़ादान, या गन्दगी,मैला पानी,कूड़ाकरकट या कचरे के किसी अन्य पात्र को उपधारा(1) के खंड (क) के अधीन स्वामी या अध्यासी से,बन्द करने या हटाने की अपेक्षा करने या उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनकी व्यवस्था करने के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है ।**
268	कारखानों आदि के लिये शौचालयों,मूत्रालयों की व्यवस्था करने और उनकी सफाई करने की अपेक्षा करना ।	
269 (अंशतः)	कुओं,तालाबों, इत्यादि की सफाई,मरम्मत,ढकने,भरने या जल का निस्तारण करने की अपेक्षा करना ।	**अपीलीय**
270	नालियों,संडासों, इत्यादि का निरीक्षण करना और भूमि खुदवाना ।	
271	गन्दे भवन या भूमि को स्वच्छ रखने की अपेक्षा करना ।	
273(1)(क)	संतापकारी प्रदार्थ को अस्थायी रुप से जमा करने के लिये पात्र और स्थान की स्थापना करना ।	
275(1)	पशुओं के शव के निस्तारण का प्रबन्ध करना ।	
275(3)(अंशतः)	ऐसे निस्तारण के लिये फीा लेना और वसूल करना ।	
276	सीवेज आदि बहाने के लिये अनुज्ञा देना और उससे सम्बन्धित शर्तें विहित करना ।	
277	किसी भवन में प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना और उसे रोगाणुमुक्त आदि करने का निर्देश देना ।	
278	मानवीय निवासके लिये अनुपयुक्त भवन के सम्बन्ध में आदेश जारी करना ।	**अपीलीय**
280	हैजा या चेचक के रोगी, इत्यादि को अस्पताल भेजना ।	
283	किसी स्वामी या अध्यासी के अनिष्टकारी वनस्पतियों को साफ करने की अपेक्षा करना ।	
284(1)	उपविधियों या अनुज्ञा की शर्तों का उल्लघंन करके किये गये उत्खन्न आदि को भरने या उसकेजल-निस्तारण कर अपेक्षा करना ।	

..... 4 पर

291	भूमि के किरायेकी वसूली के लिये कलैक्टर को आवेदन करना ।
293	नगर पालिका में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गई स्थावर सम्पत्ति के प्रयोग या अध्यासन के लिये फीस लेना और ऐसा प्रभार उदग्रहीत या वसूल करना ।
294	लाइसैन्स स्वीकृति और अनुज्ञा के लिये फीस लेना ।
307	किसी कार्य को निष्पादित करवाना और उसके व्यय को वसूल करना ।
308	चूक करने वाले स्वामी के बजाय अध्यासी से नगर पालिका को किराये का भुगतान करने की अपेक्षा करना और किसी अध्यासी से अपेक्षा करना कि वह अपने द्वारा देय किराये इत्यादि के बारे में सूचना प्रस्तुत करे ।
309	अध्यासी द्वारा निष्पादित कार्य को अनुमोदित करना ।
312	हटायी गई सामग्री की बिक्री से हटाये जाने का व्यय वसूल करना,कतिपय शर्तों के अधीन सामग्री स्वामी को लौटा देना या स्वामी द्वारा दावा न किये जाने पर उन्हें बेच देना ।
313(2)	किसी न्यासी या अधिकर्ता को नोटिस देना के वह स्वामी की ओर से प्राप्त धन को स्वामी की बाध्यता के निर्वहन के लिये प्रयोग में लाये ।
314	शिकायत करके और सूचना देकर अभियोजन संस्थित करना और ऐसी शिकायत करने और ऐसी सूचना देने के लिये अन्य व्यक्तियों को प्राधिकृत करना ।
317	किसी पुलिस अधिकारी से सूचना प्राप्त करना ।

(3) पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व -

प्रारम्भ में प्रत्येक विभाग के पर्यवेक्षक/लिपिक स्तर से उत्तरोत्तर विभाग प्रमुख से अधिशासी अधिकारी से अध्यक्ष तथा अन्त में नगर पालिका परिषद में निर्णय की शक्ति निहित है ।

(4) कृत्यों निर्वहन -

अधिनियम,नियम,उपनियम एवं समय-समय पर शासन स्तर से निर्गत शासनादेशों में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत खुली बैठकों और सामूहिक परिचर्चा पश्चात दायित्व का निर्वहन ।

(5) कृत्यों,निर्वहन में प्रयुक्त यम-नियम-अनुदेश

म्यूनिसीपल मैनुअल उ.प्र., नगर पालिका अधिनियम 1916, म्यूनिसीपल एकाउन्ट कोड एवं नगर पालिका परिषद द्वारा बनाये गये रुल्स,रेग्यूलेशन व बाइलौज प्रमुख हैं । राज्यपाल महोदय के अनुदेश तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियम प्रमुख अनुदेश एएवं हस्तक है । विभाग द्वारा म्यूनिसीपल एकाउन्ट कोड एवं नगर पालिका परिषद बाइलौज के अनुसार अभिलेख अनुरक्षित किये जाते हैं ।

(6) धारित दस्तावेजों का विवरण -

बोर्ड की कार्यवाही रजिस्टर,सभासद रजिस्टर,बजट,वार्षिक प्रशासनिक आख्या,जनरल कैश बुक,चैक बुक,पास बुक,ऋण पंजिका, अनुदान पंजिका,स्थाई अग्रिम पंजिका,अस्थाई अग्रिम पंजिका,चैक रजिस्टर,कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली, भविष्य निधि पंजिका एवं पास बुक, यात्रा भत्ता रजिस्टर,व्यय पत्र, आय-व्यय वर्गीकृत सार पत्र,वार्षिक सम्परीक्षा आपत्ति पत्रावलियां,कर्मचारियों की अवकाश पंजी,असिसमैन्ट लिस्ट,मांग एवं संग्रह पंजी,किराया मांग एवं संग्रह पंजी,लाइसैन्स रजिस्टर,बिल बुक,ग्रहकर-जलकर नियमावली,लायसैन्स शुल्क नियमावली,शो टैक्स नियमावली,प्रोजक्शन टैक्स नियमावली,सम्पत्ति रजिस्टर,भवन मानचित्र एवं रजिस्टर,मुकदमात रजिस्टर एवं पत्रावलियां,स्टाक बुक स्टेशनरी/फार्म्स,पब्लिक वर्क्स रजिस्टर,निर्माण कार्य रजिस्टर,रिसीव्ड एवं डिस्पैच रजिस्टर,स्केल रजिस्टर,सिक्योरिटी रजिस्टर,कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका, पे बिल्स,स्टाम्प रजिस्टर,मासिक विवरण पत्र,टूल्स एन्ड प्लान्ट रजिस्टर,मेजरमैन्ट बुक,कान्ट्रैक्टर बिल्स,बिल्स-मस्टरोल,निर्माण पत्रावलियां,जन्म-मृत्यु रजिस्टर, जलमूल्य मांग एवं संग्रह पंजिका, जल संयोजन पत्रावलियां,मिस्लेनियस डिमांड एवं कलैक्शन रजिस्टर(ठेकाजात) व पत्रावलियां ।

(7) <u>लोक परामर्श व्यवस्था -</u>

कार्यावधि में प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक प्रत्येक कार्य दिवसों में ।

(8) <u>नगर पालिका परिषद/समिति की बैठकें और उनकी कार्यवाही -</u>

उ.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 104 से 110 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत समिति और संयुक्त समिति गठित किये जाने की व्यवस्था है । उक्त एक्ट की धारा 86 से 94 के अन्तर्गत नगर

पालिका परिषद की बैठकें और उनकी कार्यवाहियां प्राविधानित हैं । नगर पालिका परिषद की बैठकें धारा 90 के अन्तर्गत जनसाधारण के लिये खुली रहेगी । तद्नुसार बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी ।

9 - अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका

क्र.सं.	नाम	पदनाम	निवास स्थान
1	2	3	4
1	**रिक्त**	**अधिशासी अधिकारी**	
2	**रिक्त**	**स.एवं खाद्य निरीक्षक**	
3	श्री मु. अनवर ख्वाजा	जलकल अभियन्ता	मौ0 दोधपुर मैडीकल रोड, अलीगढ़
4	श्री रामबली पाल	कर अधीक्षक	न.पा.प. कैम्पस अतरौली
5	श्री महेश कुमार वर्मा	लेखाकार	मौ0 ब्रहम्नपुरी, अतरौली
6	श्री अशोक कुमार गोयल	प्रधान लिपिक	न.पा.प. कैम्पस अतरौली
7	श्री नानक चन्द्र	लिपिक	न.पा.प. कैम्पस अतरौली
8	श्री नवीन जैन	लिपिक	मौ0 गांधी गली, अतरौली
9	श्री छत्रपाल सिंह	वैक्सीनेटर	ग्रा0 शेखूपुर, अतरौली
10	श्री जहीर अहमद	ला. मौहर्रिर	मौ0 सरायवली, अतरौली
11	श्री बाबू खां	मेठ	मौ0 चौधिरियान, अतरौली
12	श्री साहब सिंह	चपरासी	ग्रा0 उत्तमगढ़ी, अतरौली
13	श्री खलीक खां	लिपिक	मौ0 वैसपाड़ा, अतरौली
14	श्री लखपत सिंह	टैक्स कलैक्टर	मौ0 मढ़ौली, अतरौली
15	श्री भगवान दास	मौहर्रिर	मौ0 खत्रीपाड़ा, अतरौली
16	श्री रमेश चन्द्र शर्मा	मौहर्रिर	न.पा.प. कैम्पस अतरौली
17	श्री अ. हसन	मौहर्रिर	मौ0 सराय वली, अतरौली
18	श्री राजेश गुप्ता	टैक्स कलैक्टर	मौ0 छिपैटी, अतरौली
19	श्रीमती प्रेमवती	चपरासी	मौ0 काजीपाड़ा, अतरौली
20	श्री महेन्द्रपाल शर्मा	चपरासी	न.पा.प. कैम्पस अतरौली
21	श्री अली अहमद	मीटर रीडर	मौ0 जीवनगढ़, अलीगढ़
22	श्री रमेश चन्द्र वर्मा	पम्प अटैडैन्ट	न.पा.प. कैम्पस अतरौली
23	श्री नाथूराम शर्मा	पम्प अटैडैन्ट	न.पा.प. कैम्पस अतरौली
24	श्री अ. समी	चपरासी	मौ0 चौधिरियान, अतरौली
25	श्री गुलाम मुहम्मद	चपरासी	मौ0 ऊंचान, अतरौली
26	श्री बशीर खां	चपरासी	मौ0 मुल्ला टोला, अतरौली
27	श्री राजेश शर्मा	चपरासी	मौ0 खत्रीपाड़ा, अतरौली
28	श्री राजेन्द्र कुमार	सफाई कर्मचारी	मौ0 नगाइचपाड़ा, अतरौली
29	श्री रामबाबू	सफाई कर्मचारी	मौ0 कटरा , अतरौली
30	श्री इन्द्रपाल	सफाई कर्मचारी	मौ0 नगाइचपाड़ा, अतरौली
31	श्री रमेश पुत्र चुनुआं	सफाई कर्मचारी	मौ0 नगाइचपाड़ा, अतरौली
32	श्री बिशन पुत्र मुरारी	सफाई कर्मचारी	मौ0 कटरा , अतरौली
33	श्री श्यामवीर	सफाई कर्मचारी	मौ0 कटरा , अतरौली
34	श्री अशोक	सफाई कर्मचारी	मौ0 कटरा , अतरौली
35	श्री रामखिलौनी	सफाई कर्मचारी	मौ0 नगाइचपाड़ा, अतरौली
36	श्री बिशन पुत्र मुन्ना	सफाई कर्मचारी	मौ0 कटरा , अतरौली
37	बतनलाल	सफाई कर्मचारी	मौ0 कटरा , अतरौली
38	मदन पुत्र मुकन्दी	सफाई कर्मचारी	मौ0 नगाइचपाड़ा, अतरौली
39	जयनारायन	सफाई कर्मचारी	मौ0 नगाइचपाड़ा, अतरौली
40	अजय कुमार	सफाई कर्मचारी	मौ0 कटरा , अतरौली

.... 2 पर

क्र.सं.	नाम	पदनाम	निवास स्थान
1	2	3	4
41	श्री मदन पुत्र मुरारी	सफाई कर्मचारी	मौ0 नगाइचपाड़ा, अतरौली
42	श्री खचेरमल	सफाई कर्मचारी	मौ0 सरायवली, अतरौली
43	श्री राजीव कुमार	सफाई कर्मचारी	मौ0 नगाइचपाड़ा, अतरौली
44	श्री महेश कुमार	सफाई कर्मचारी	मौ0 कटरा , अतरौली
45	श्री राजेश पुत्र कैलाश	सफाई कर्मचारी	मौ0 कटरा , अतरौली
46	श्री रामचन्द्र	सफाई कर्मचारी	मौ0 नगाइचपाड़ा, अतरौली
47	श्री मुकेश कुमार	सफाई कर्मचारी	मौ0 सरायवली, अतरौली
48	श्री प्यारेलाल	सफाई कर्मचारी	मौ0 नगाइचपाड़ा, अतरौली
49	श्री अनिल कुमार	सफाई कर्मचारी	मौ0 सरायवली, अतरौली
50	श्रीमती कृष्णा देवी	सफाई कर्मचारी	मौ0 कटरा , अतरौली
51	श्रीमती शकुन्तला देवी	सफाई कर्मचारी	मौ0 नगाइचपाड़ा, अतरौली
52	श्रीमती सुमन कुमारी	सफाई कर्मचारी	मौ0 कटरा , अतरौली
53	श्री हरप्रसाद	सफाई कर्मचारी	मौ0 नगाइचपाड़ा, अतरौली
54	श्री श्रीराम	सफाई कर्मचारी	मौ0 कटरा , अतरौली
55	श्री प्रहलाद	सफाई कर्मचारी	मौ0 नगाइचपाड़ा, अतरौली
56	श्री इन्द्रजीत	सफाई कर्मचारी	मौ0 सरायवली, अतरौली
57	श्री सर्वेश कुमार	सफाई कर्मचारी	मौ0 सरायवली, अतरौली
58	श्री रामरतन	सफाई कर्मचारी	मौ0 सरायवली, अतरौली
59	श्रीमती कस्तूरी देवी	सफाई कर्मचारी	मौ0 नगाइचपाड़ा, अतरौली
60	श्रीमती किरन देवी	सफाई कर्मचारी	मौ0 कटरा , अतरौली
61	श्रीमती कान्ति देवी	सफाई कर्मचारी	मौ0 नगाइचपाड़ा, अतरौली
62	श्री नज्जन	भिश्ती	मौ0 पीर बहादुर, अतरौली
63	श्री हनीफ पुत्र शादी	भिश्ती	मौ0 सरायवली, अतरौली
64	बाबूलाल	सफाई कर्मचारी	मौ0 कटरा , अतरौली
65	जगदीश	सफाई कर्मचारी	मौ0 सरायवली, अतरौली
66	कैलाशी देवी	सफाई कर्मचारी	मौ0 नगाइचपाड़ा, अतरौली
67	मूर्तिदेवी	सफाई कर्मचारी	मौ0 सरायवली, अतरौली
68	ऊषा देवी	सफाई कर्मचारी	मौ0 नगाइचपाड़ा, अतरौली
69	धर्मेन्द्र कुमार	सफाई कर्मचारी	मौ0 कटरा , अतरौली
70	फूल सिंह	सफाई कर्मचारी	मौ0 नगाइचपाड़ा, अतरौली
71	प्रमोद कुमार	सफाई कर्मचारी	मौ0 सरायवली, अतरौली
72	वीरेन्द्र कुमार	चपरासी	मौ0 खत्रीपाड़ा, अतरौली
73	योग्रेन्द्र पाल	चपरासी	मौ0 नगाइचपाड़ा, अतरौली
74	सलीमुद्दीन	चपरासी	मौ0 ऊंचान, अतरौली
75	लालता प्रसाद	चपरासी	मौ0 खेरापतान, अतरौली
76	जमशेद अहमद	चपरासी	मौ0 पक्की गढ़ी, अतरौली
77	इलियास खां	चपरासी	मौ0 चौधिरियान, अतरौली
78	शशी कपूर	चपरासी	मौ0 खत्रीपाड़ा, अतरौली
79	जय सिंह	चपरासी	मौ0 भानपाड़ा, अतरौली
80	बबलू पुत्र हनीफ	चपरासी	मौ0 मुल्ला टोला, अतरौली
81	नूर मौहम्मद	चपरासी	मौ0 सरायवली, अतरौली
82	राम किशोर	चपरासी	ग्रा0 जखैरा, अतरौली

10 – नगर पालिका परिषद अतरौली में कर्मचारियों के वेतन की स्थिति :-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वेतनमान	मूल वेतन	कुल वेतन
1	2	3	4	5	6
1	**रिक्त**	**अधिशासी अधिकारी**	**4500–7000**	–	–
2	**रिक्त**	**स.एवं खाद्य निरीक्षक**	**4500–7000**	–	–
3	श्री मु. अनवर ख्वाजा	जलकल अभियन्ता	4500–7000	5200	10104
4	श्री रामबली पाल	कर अधीक्षक	4000–6000	4700	9292
5	श्री महेश कुमार वर्मा	लेखाकार	3200–4900	4985	9203
6	श्री अशोक कुमार गोयल	प्रधान लिपिक	3200–4900	4900	8893
7	**रिक्त**	**लिपिक – 3**	**3050–4590**	–	–
8	श्री नानक चन्द्र	लिपिक	3200–4900	4390	7968
9	श्री नवीन जैन	लिपिक	3050–4590	3875	7224
10	श्री छत्रपाल सिंह	वैक्सीनेटर	2750–4400	3950	7359
11	श्री जहीर अहमद	ला. मौहर्रिर	2650–4400	3440	6394
12	श्री बाबू खां	मेठ	2610–3540	3540	6575
13	श्री साहब सिंह	चपरासी	2610–3540	3475	6458
14	श्री खलीक खां	लिपिक	3200–4900	4815	8944
15	श्री लखपत सिंह	टैक्स कलैक्टर	2750–4400	4175	7818
16	श्री भगवान दास	मौहर्रिर	2750–4400	4025	7496
17	श्री रमेश चन्द्र शर्मा	मौहर्रिर	2750–4400	3730	6770
18	श्री अ. हसन	मौहर्रिर	2750–4400	3730	6920
19	श्री राजेश गुप्ता	टैक्स कलैक्टर	2650–4000	3370	6267
20	श्रीमती प्रेमवती	चपरासी	2610–3540	3475	6458
21	श्री महेन्द्रपाल शर्मा	चपरासी	2610–3540	3410	6189
22	श्री अली अहमद	मीटर रीडर	3050–4590	4590	8571
23	**रिक्त**	**पा.ला.फिटर – 1**	**2610–3540**	–	
24	श्री रमेश चन्द्र वर्मा	पम्प अटैडैन्ट	2650–4000	4000	7260
25	श्री नाथूराम शर्मा	पम्प अटैडैन्ट	2650–4000	4000	7260
26	लालता प्रसाद	चपरासी	2550–3200	3200	6102
27	श्री अ. समी	चपरासी	2610–3540	3540	6575
28	श्री गुलाम मुहम्मद	चपरासी	2610–3540	3540	6575
29	श्री बशीर खां	चपरासी	2610–3540	3475	6458
30	श्री राजेश शर्मा	चपरासी	2610–3540	3410	6339
31	**रिक्त**	**सफाई कर्मचारी–13**	**2550–3200**	–	–
32	श्री राजेन्द्र कुमार	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3540	6625
33	श्री रामबाबू	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3540	6607
34	श्री इन्द्रपाल	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3540	6607
35	श्री रमेश पुत्र चुनुआं	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3540	6607
36	श्री बिशन पुत्र मुरारी	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3540	6607
37	श्री श्यामवीर	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3475	6490
38	श्री अशोक	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3475	6490
39	श्री रामखिलौनी	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3475	6490
40	श्री बिशन पुत्र मुन्ना	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3475	6490

.... 2 पर

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वेतनमान	मूल वेतन	कुल वेतन
1	2	3	4	5	6
41	श्री मदन पुत्र मुरारी	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3410	6371
42	श्री खचेरमल	सफाई कर्मचारी	2550–3200	3200	5990
43	श्री राजीव कुमार	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3140	5881
44	श्री महेश कुमार	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3140	5881
45	श्री राजेश पुत्र कैलाश	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3080	5740
46	श्री रामचन्द्र	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3080	5772
47	श्री मुकेश कुमार	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3080	5772
48	श्री प्यारेलाल	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3080	5772
49	श्री अनिल कुमार	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3020	5638
50	श्रीमती कृष्णा देवी	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3540	6607
51	श्रीमती शकुन्तला देवी	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3475	6490
52	श्रीमती सुमन कुमारी	सफाई कर्मचारी	2550–3200	3080	5772
53	श्री हरप्रसाद	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3540	6625
54	श्री श्रीराम	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3540	6607
55	श्री प्रहलाद	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3475	6490
56	श्री इन्द्रजीत	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3475	6490
57	श्री सर्वेश कुमार	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3280	6135
58	श्री रामरतन	सफाई कर्मचारी	2550–3200	3080	6052
59	श्रीमती कस्तूरी देवी	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3540	6607
60	श्रीमती किरन देवी	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3540	6607
61	श्रीमती कान्ति देवी	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3540	6607
62	श्री नज्जन	भिश्ती	2610–3540	3540	6575
63	श्री हनीफ पुत्र शादी	भिश्ती	2610–3540	3475	6458
64	बाबूलाल	सफाई कर्मचारी	2550–3200	2960	5662
65	जगदीश	सफाई कर्मचारी	2550–3200	2660	5105
66	कैलाशी देवी	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3540	6766
67	मूर्तिदेवी	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3540	6766
68	ऊषा देवी	सफाई कर्मचारी	2550–3200	2960	5662
69	धर्मेन्द्र कुमार	सफाई कर्मचारी	2550–3200	2550	4900
70	फूल सिंह	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3410	6524
71	प्रमोद कुमार	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3475	6646
72	वीरेन्द्र कुमार	चपरासी	2550–3200	2720	5184
73	योग्रेन्द्र पाल	चपरासी	2550–3200	3020	5742
74	सलीमुद्दीन	चपरासी	2550–3200	3200	6102
75	जमशेद अहमद	चपरासी	2550–3200	3200	6102
76	इलियास खां	चपरासी	2550–3200	2550	4868
77	शशी कपूर	चपरासी	2550–3200	2550	4868
78	जय सिंह	चपरासी	2550–3200	3200	6102
79	बबलू पुत्र हनीफ	चपरासी	2550–3200	2550	4868
80	नूर मौहम्मद	चपरासी	2550–3200	2660	5073
81	राम किशोर	चपरासी	2550–3200	3140	5990
82	बतनलाल	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3410	6524
83	मदन पुत्र मुकन्दी	सफाई कर्मचारी	2610–3540	3475	6646
84	जयनारायन	सफाई कर्मचारी	2550–3200	3020	5774
85	अजय कुमार	सफाई कर्मचारी	2550–3200	2760	5291

11- मूल आय-व्ययक वर्ष 2006-07

आय पक्ष			व्यय पक्ष		
शीर्षक	वास्तविक आय 2005-06	अनुमानित आय 2006-07	शीर्षक	वास्तविक व्यय 2005-06	अनुमानित व्यय 2006-07
भवन कर	589498	800000	सामान्य प्रशासन	606261	650000
जलकर	635886	800000	कर विभाग	131494	1350000
प्रेक्षाग्रहकर	21900	25000	कैपीटल आउटलेट	174500	1200000
लायसैंस	50508	70000	मार्ग प्रकाश	1821380	700000
पौण्ड	-	5000	जलकल	1316469	1600000
किराया/प्रक्षेप	568324	700000	स.कर्म/भिश्ती	3234107	3500000
प्रीमियम	335742	1500000	सफाई निरीक्षक	155685	150000
ठेका मोटर अडडा आदि	994003	1300000	वैक्सीनेटर	61897	100000
ठेका पशु पैंठ	152500	200000	सैनेट्री रिक्वायरमैन्टस	1020771	1000000
ठेका तहबाजारी	838495	1000000	निर्माण विभाग	219877	250000
ठेका पशुवधशाला	107500	200000	भवन	1266790	1000000
ठेका विज्ञापन	1000	10000	सड़क,नाली,नाला	3629118	5000000
जलमूल्य	10047	25000	पुस्ताकलय	65257	100000
मीटर किराया	5721	15000	प्रिटिंग स्टेशनरी	92284	100000
अन्य जलकल	16774	50000	वाद व्यय	57277	50000
नकल	3596	5000	भविष्य निधि	700641	700000
मेला/प्रदर्शनी	231000	250000	पेंशन अंशदान	514957	700000
राज्य वित्त आयोग	12626000	10000000	सा.बीमा /सेविंग स्कीम	208195	250000
11/12 वित्त आयोग	613000	1000000	पशुवधशाला	-	10000
अवस्थापना विकास निधि	2896438	1000000	विविध व्यय	359418	320000
संगठित विकास योजना	7638808	7500000	शिष्टाचार व्यय	34914	60000
रिवाल्विंग फण्ड	2000000	1000000	नजूल फ्रीहोल्ड	219500	500000
विविध आय	481829	600000	प्रदर्शनी	98869	225000
जमानतें	55955	50000	संगठित विकास योजना	3869762	9500000
			उद्यान	18445	30000
			जमानतें	95140	50000
योग	**30874524**	**28105000**	**योग**	**21155708**	**29095000**

12 फायदा ग्राहीओं के ब्यौरे -

स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत बेरोजगारों को बैंकों के माध्यम से अधिकतम रु0 50,000/- ऋण पात्र चयनित लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है जिसमें 15 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है । ऋण प्रपत्र निशुल्क वितरण व्यवस्था है वर्ष 2005-06 में निर्धारित लक्ष्य 20 के सापेक्ष वास्तविक उपलब्धि 17 रही । वर्ष 2006-07 के लिये लक्ष्य 30 लाभार्थी निर्धारित है लक्ष्य पूर्ति परिप्रेक्ष्य में निर्धारित प्रक्रिया प्रगति पर है ।

<u>13 प्रदत्त छूट –</u>

ग्रहकर नियमावली में प्राविधानित है कि कर दाता कर की मांग का बिल प्राप्त होने की तिथि के 15 दिवस में देय कर का भुगतान करने पर देय कर का प्रतिशत छूट पाने का हकदार है ।

<u>14</u> इलैक्ट्रोनिक सूचना ब्यौरे –

इलैक्ट्रोनिक रुप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे की उपलब्धता शून्य है ।

<u>15</u> पुस्तकालय/वाचन कक्ष –

नगर पालिका परिषद में पुस्तकालय संचालित है कार्य दिवस में कार्यावधि प्रातः 10 बजे से 01 बजे तक तथा अपरान्ह 02 बजे से 05 बजे तक है । सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को कार्य दिवस में कार्यावधि में पुस्तकालय भवन उपयोग के लिये अनुरक्षित है ।

<u>16</u> लोक सूचना अधिकारियों के नाम/पदनाम –

सूचना अधिकारी	–	श्री एस.एम. तारिक, अधिशासी अधिकारी
सहायक सूचना अधिकारी	–	श्री अशोक कुमार गोयल,प्रधान लिपिक श्री राम बली पाल,कर अधीक्षक मौ. अनवर ख्वाजा, अवर अभियन्ता (जल) श्री महेश कुमार वर्मा,लेखाकार

<u>17</u> अन्य सूचना जो निर्धारित की गई है –

<u>मार्ग प्रकाश :–</u>

1. हाई मास्क कुल नग – 22

2. <u>मार्ग बिन्दुओ की संख्या –</u>

(अ)	250 वॉट	सोडियम लैम्प बिन्दु	60 पौइन्ट
(ब)	150 वॉट	सोडियम लैम्प बिन्दु	08 पौइन्ट
(स)	70 वॉट	सोडियम लैम्प बिन्दु	607 पौइन्ट
(द)	100+60 वॉट	सीरिज बल्व वाले बिन्दु	265 पौइन्ट

.... 2 पर

<u>जलकल :-</u>

1.	जलसंयोजनों की कुल संख्या	5,381
अ.	अव्यावसायिक	5,327
ब.	व्यावसायिक	54
2.	स्टैन्डपोस्टों की संख्या	61
3.	पाइप लाइन	50 कि.मी.
4.	नलकूपों की संख्या	06

अ.	कार्यरत	05
ब.	क्षतिग्रस्त	01
5.	इन्डिया मार्क-2 हैन्डपम्पों की संख्या	260
अ.	कार्यरत	239
ब.	क्षतिग्रस्त	21 (रिबोर होने हैं)
6.	उच्च जलाशय	03
अ.	नगाइचपाड़ा क्षमता	1,500 कि.ली.
ब.	पालिका कालौनी	1,000 कि.ली.
स.	मढ़ौली पेयजल योजना	250 कि.ली.
7.	जैनरैटर (नलकूपों हेतु)	02 नग क्षमता 62.5 किलोवाट प्रति
8.	फायर हायडैन्ट	12 नग
अ.	कार्यरत	07
ब.	क्षतिग्रस्त	05 (चैम्बर कवर मरम्मत होने हैं)

<u>सफाई एवं जलस्वास्थ्य :-</u>

1.	ट्रैक्टर हायड्रोलिक	04
2.	ट्राली	03
3.	फागिंग म ीन	01
4.	वाटर टैंकर	05
5.	कूड़ेदान	04
6.	कैरियर	01
7.	गैंती/फावड़ी/परात	400
8.	हाथगाड़ी	08
9.	जीप	01
10.	थ्रीव्हीलर (टैम्पो)	02

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद अतरौली (अलीगढ़)

(7) <u>लोक परामर्श व्यवस्था -</u>

कार्यावधि में प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक प्रत्येक कार्य दिवसों में ।

(8) <u>नगर पालिका परिषद/समिति की बैठकें और उनकी कार्यवाही -</u>

उ.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 104 से 110 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत समिति और संयुक्त समिति गठित किये जाने की व्यवस्था है । उक्त एक्ट की धारा 86 से 94 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद की बैठकें और उनकी कार्यवाहियां प्राविधानित हैं । नगर पालिका परिषद की बैठकें धारा 90 के अन्तर्गत जनसाधारण के लिये खुली रहेगी । तद्नुसार बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी ।